

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3554

दिनांक 10.12.2019/19 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों/शहरों का नाम-परिवर्तन

† 3554. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आगरा का नाम परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में राज्यों/शहरों के नाम-परिवर्तन संबंधी कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल के नाम-परिवर्तन की प्रक्रिया रोकने के क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग): शहरों के नाम में परिवर्तन का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के पास लंबित नहीं

है। पश्चिम बंगाल राज्या के नाम में परिवर्तन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। किसी राज्य के नाम में

परिवर्तन पर निर्णय सभी संगत कारकों पर विचार किए जाने के बाद ही लिया जाता है।

\*\*\*\*\*